राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री अवि गर्ग आर0ए0एस0

क्रमांक : राजस्व / 2020 / 1123-38 दिनांकः– 16.03.2020

प्रार्थना पत्र संख्या : 13 / 2020

1. भंवरी पत्नी स्व. रामकुमार जाति जाट उम्र 52 वर्ष निवासी रिबिया तहसील व जिला चूरू
2. भगवती पुत्री स्व. रामकुमार जाति जाट उम्र 21 वर्ष निवासी रिबिया तहसील व जिला चूरू
3. विनोदकुमार पुत्र स्व. रामकुमार जाति जाट उम्र 19 वर्ष निवासी रिबिया तह. व जिला चूरू
4. रूकमणी पुत्री स्व. रामकुमार पत्नी राकेश जाति जाट उम्र 28 वर्ष निवासी पीथीसर तहसील व जिला चूरू

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. सुरजीदेवी पत्नी नन्दराम जाति जाट निवासी रिबिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. हरिराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी रिबिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. चन्दादेवी पत्नी धन्नाराम जाति जाट निवासी रिबिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. फूली पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी रिबिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. मुखराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी रिबिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. रामेश्वरलाल पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी रिबिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. बिमला पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी रिबिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. राकेशकुमार पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी रिबिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
9. सरला पुत्री हंसराज जाति जाट निवासी रिबिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
10. सावित्रीदेवी पत्नी हरिराम जाति जाट निवासी रिबिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

–अप्रार्थीगण–

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

<u>अन्तरिम स्थगन आदेश</u>

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर वकील प्रार्थीगण की [illegible] सुनी गई। बहस पर मनन करने, प्रार्थी के शपथ पत्र एवं रिकार्ड का अवलोकन [illegible] दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। [illegible] प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण इस अमर का जारी किया जाता [illegible] भूमि खसरा नं. [illegible] 258, 365, 372, 404, 405, 438, 440 तादादी क्रमशः 6.4876, 4.1[illegible], 2.6937, 2.4914, [illegible] 3.1995, 5.6403, 3.4900, 5.7286 कुल तादादी 33.9936 हैक्टेयर रोही मौजा रिबिया तहसील चूरू में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी हिस्से तक रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखें। यह अस्थाई निषेधाज्ञा केवल आगामी तारीख पेशी तक है। आगामी आदेश सुनवाई पश्चात् पृथक् से जारी होंगे। आज से पूर्व पंजीकृत बैयनामे पर यह आदेश लागू नहीं होगा। बैंक ऋण वसूली (रोड़ा एक्ट), रास्ता विवाद, DILRMP पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। अप्रार्थीगण को इसमें कोई उजर या आपत्ति हो तो असालतन या वकालतन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:20:19 IST
Reason: SelfAttested